भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 2203
जिसका उत्तर शुक्रवार, 10 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

अधिकरण युक्तिकरण

2203 **श्री के. सुधाकरन :**

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकरण सुधार विधेयक, 2020 के तहत अधिकरण के युक्तिकरण से उच्च न्यायालयों पर और मामलों के बेकलॉक पर बोझ बढ़ सकता और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार उक्त विधेयक के तहत अधिकरणों के युक्तिकरण से उत्पन्न होने वाले विशिष्ट मामलों को संभालने के लिए न्यायालयों की क्षमता को बढ़ाने के लिए कोई उपाय कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और यदि नहीं, तो क्या कारण है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : यह सूचित किया जाता है कि अधिकरण सुधार विधेयक, 2021 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था और 13.08.2021 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी गई थी । उक्त विधेयक के उद्देश्य और कारणों के विवरण के अनुसार, यह सूचित किया जाता है कि विगत तीन वर्षों के डाटा के अनुसार यह देखा गया है कि बहुत से क्षेत्रों में अधिकरण ने आवश्यक रुप से त्वरित न्याय प्रदान नहीं किया है और वें राजकोष की बडी मात्रा को भी खर्च रहे है । अतः अधिकरणों को और सरल तथा कारगर बनाना आवश्यक माना गया क्योंकि इससे बडी मात्रा में राजकोष के खर्च में बचत होगी और साथ ही त्वरित न्याय प्रदान किया जा सकेंगा।

****